

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::
मिसल नं. ::

बंशीधर योगी, R.T.S.
18/2020

सरकार

बनाम

सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह, जाति-राजपूत,
निवासी- डुलानिया

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 02.06.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-डुलानिया ने रोही मौजा डुलानिया की राजकीय भूमि ख.नं. 959/589 रकबा 0.03 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है० पर छड़ा डालकर रास्ता रोककर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

र० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 01 पर
वर्ष 2020-21 में रुपये 5/- कायम किं०

राजस्व लेखाकार

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़